रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2010/वैशाख 29, 1932
No. 269] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2010/VAISAKHA 29, 1932

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2010

सा.का.नि. 423(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय में निदेशक की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय निदेशक भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हता आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसचिवीय	वेतन बैंड -4 37400-67000 रु0+ ग्रेड वेतन 8700 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति** ऐसा उप सचिव, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ वेतन बैंड 3 में 7600 रुपए के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39100 रुपए के वेतनमान में हो; **या** ऐसा उपसचिव जिसने वेतन बैंड 3 में 7600 रुपए ग्रेड वेतन सहित 15600-39100 रुपए के वेतनमान में उपसचिव और अवर सचिव (वेतन बैंड 3 में 6600 रुपए के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100 रुपए) की श्रेणियों में 10 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है । जिसमें से उपसचिव के ग्रेड में 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा होनी चाहिए ।

	टिप्पण 1 :जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है, ऐसी सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में दी सेवा मानी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; **या** (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 3 में, 7600 रुपए के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39100 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है ; और
	(ख) जिनके पास दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है जिसमें संसदीय और विधायी कृत्यों में पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित है । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

1906 GT/10-2

	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी) **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा 01 जनवरी,2006 वह तारीख जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले की गई है आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान को एकसमान ग्रेड वेतन/वेतनमान में एकसाथ सम्मिलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान, बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13		14
समूह 'क' विभीगीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-		प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष	
2. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	- सदस्य	
3. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	- सदस्य	

[फा. सं. 3(7)/2008-प्रशा.]

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव